



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
मुरादाबाद
211350030079175
042213019937

जारी दिनांक: 18/08/2021



प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

गाम

तहसील

जिला

UMAMA

MOHD MATEEN

SHAMEEM ARA

**,LAL BAGH GALI NO 4 RAM
GANGA ROAD MORADABAD**

मुरादाबाद

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की मिशनी-अब्बामी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **UMAMA** पूर्वोत्तर अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० मी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००१ द्वारा संशोधित की गई है, मेरा आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये मात्र वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास अन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप कूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



NITIN
TEWATIA

Digitally Signed by
NITIN TEWATIA
O=U.P GOVERNMENT
OU=REVENUE
S=UTTAR PRADESH

सभाम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

मुरादाबाद, मुरादाबाद

दिनांक: 18/08/2021

जारी करने के नाम: रजीतदीन खान, नाइकाल चौपाल जन सेवा केन्द्र

पद: रजीतदीन खान, केन्द्र प्रभारी

स्थान: 62, MORADABAD (M CORP.) WARD

NO.62, मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद

दिनांक: 23/08/2021

हस्ताक्षर एवं महर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिस्टर द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इकाइ पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० बैकित कर, संत्वापित किया जा सकता है।